**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1878**

**06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा**

**1878. श्री इटेला राजेंदर:**
**श्रीमती डी. के. अरुणा:**
**श्री सुरेश कुमार शेटकर:**

**क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को मजबूत करने और मौजूदा कार्यबल के क्षमता निर्माण से बुजुर्गों के लिए कुशल कार्यबल में वृद्धि होगी और वरिष्ठ नागरिकों के बीच स्वास्थ्य परिचर्या के उपयोग को सुगम बनाया जा सकेगा, यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सर्व-समावेशी पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ पोषण संबंधी सेवाएं भी शामिल हैं, जो निवारक, स्वास्थ्य और उपचारात्मक हस्तक्षेपों तथा समग्र प्रकृति के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के परिचर्या को क्रियान्वित करेंगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा गत बारह वर्षो के दौरान राज्य- वार कितनी धनराशि स्वीकृत/खर्च की गई है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (ग): जी हां, ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की अवसंरचना को सुदृढ़ करना और मौजूदा कार्यबल का क्षमता निर्माण करना बुजुर्गों के लिए कुशल कार्यबल को बढ़ाता है और वरिष्ठ नागरिकों के बीच स्वास्थ्य परिचर्या के उपयोग को सुगम बनाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुजुर्गों की जरूरतों को पूरी तरह से समर्पित और उनके अनुरूप व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या व्यवस्था के साथ बुजुर्गों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान "बुजुर्गों के स्वास्थ्य परिचर्या के लिए

राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एनपीएचसीई) शुरू किया था। एनपीएचसीई का विजन बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाकर और स्वास्थ्य सुविधाओं को अवसंरचनात्मक रूप से लैस करके बढ़ती उम्र के लिए नई रूपरेखा तैयार करना है।

एनपीएचसीई. के अंतर्गत ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मचारियों सहित स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उप-केंद्र (एससी) में तैनात एएनएम/पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में प्रशिक्षण दिया जाता है। पीएचसी के डॉक्टरों/कर्मचारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में प्रशिक्षण दिया जाता है। सीएचसी के डॉक्टरों और कर्मचारियों को जिला अस्पताल (डीएच) में प्रशिक्षण दिया जाता है। उप-केंद्रों पर सहायक उपकरण और पीएचसी, सीएचसी और डीएच पर मशीनरी और उपकरणों की खरीद करना है। जिला अस्पताल में 10 बिस्तरों वाले जेरिएट्रिक वार्ड की स्थापना। एनपीएचसीई के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली निवारक, स्वास्थ्य और उपचारात्मक सेवाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

उपकेंद्र पर एएनएम/पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता बुजुर्गों/परिवार/समुदाय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों, पोषण संबंधी आवश्यकताओं, जीवन शैली और व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकलापों पर जानकारी प्रदान करते हैं। घर में रहने वाले/बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों के लिए घर पर जाकर इलाज करता है। उपयुक्त कैलिपर और सहायक उपकरण प्रदान करता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में - दृष्टि, जोड़ों, श्रवण, छाती, रक्तचाप, ब्लड शुगर आदि से संबंधित सामान्य नैदानिक परीक्षण के आधार पर बुजुर्गों का स्वास्थ्य मूल्यांकन करना। आहार नियमों सहित क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव लंग डिजीज, गठिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि जैसी पुरानी बीमारियों पर परामर्श देना।

सीएचसी में - वे पीएचसी और उससे निम्न स्तर के केंद्रों से रेफर किए गए रोगियों के लिए पहली चिकित्सा इकाई हैं। सप्ताह में दो बार बुजुर्गों के लिए समर्पित और विशेषीकृत जेरिएट्रिक क्लीनिक। फिजियोथेरेपिस्ट/पुनर्वास कार्यकर्ता फिजियोथेरेपी और चिकित्सा पुनर्वास संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों के लिए घर पर जाकर उपचार देना और परिवार की काउंसलिंग करना।

जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए समर्पित ओपीडी सेवाओं के साथ-साथ जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, नेत्र विज्ञान, ईएनटी आदि जैसी मौजूदा विशेषज्ञताओं के साथ बुजुर्गों के लिए समर्पित ओपीडी सेवाओं के साथ बुजुर्गों के लिए समर्पित क्लिनिक। इन-पेशेंट परिचर्या के लिए 10 बिस्तरों वाले जराचिकित्सा वार्ड, प्रयोगशाला जांच और दवाओं के प्रावधान। गंभीर मामलों के लिए विशिष्ट स्तर के अस्पतालों/क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्र को रेफरल सेवाएं।

वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक स्वीकृत/व्यय की गई निधियां **अनुलग्नक** में संलग्न है।

**अनुलग्नक**

## वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2023-24 तक एनएचएम के तहत बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम (एनपीएचसीई) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय

रुपये (लाख में)

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एसपीआईपी अनुमोदन | व्यय | एसपीआईपी अनुमोदन | व्यय | एसपीआईपी अनुमोदन | व्यय | एसपीआईपी अनुमोदन | व्यय | एसपीआईपी अनुमोदन | व्यय | एसपीआईपी अनुमोदन | व्यय | एसपीआईपी अनुमोदन | व्यय | एसपीआईपी अनुमोदन | व्यय | एसपीआईपी अनुमोदन | व्यय |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 42.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 37.72 | 1.70 | 1.50 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 17.98 | 0.02 | 9.00 | 0.00 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 2,096.18 | 0.00 | 105.70 | 0.44 | 89.40 | 128.97 | 39.00 | 0.00 | 78.20 | 0.00 | 789.90 | 789.90 | 455.06 | 114.58 | 316.50 | 18.57 | 269.00 | 207.65 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.62 | 331.20 | 2.53 | 122.40 | 131.13 | 150.00 | 24.64 | 165.40 | 125.27 | 40.00 | 255.44 | 146.60 | 97.50 | 151.60 | 23.80 |
| 4 | असम | 1,393.22 | 118.16 | 1,263.77 | 301.59 | 567.60 | 126.84 | 411.60 | 180.67 | 406.59 | 119.87 | 310.30 | 169.41 | 65.46 | 23.62 | 490.15 | 107.14 | 92.25 | 221.43 |
| 5 | बिहार | 1,650.46 | 17.71 | 315.48 | 27.56 | 1,005.20 | 164.71 | 1,491.40 | 115.38 | 383.49 | 37.16 | 165.77 | 40.56 | 5.67 | 20.83 | 74.72 | 5.59 | 78.46 | 6.30 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | छत्तीसगढ | 0.00 | 25.51 | 154.97 | 159.35 | 515.80 | 844.59 | 115.08 | 927.01 | 365.65 | 96.08 | 95.36 | 63.09 | 512.11 | 254.31 | 387.50 | 312.22 | 487.60 | 268.06 |
| 8 | दादरा एवं नगर हवेली | 28.00 | 14.77 | 23.11 | 34.99 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.87 | 0.25 | 2.35 | 0.00 |
| | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 5.94 | 0.39 | 0.40 | 0.06 | | | | | | | | |
| 9 | दिल्ली | 333.43 | 0.00 | 259.34 | 0.00 | 41.80 | 0.00 | 8.80 | 0.15 | 14.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 24.90 | 7.42 | 331.00 | 0.05 | 313.00 | 8.12 |
| 10 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 42.34 | 0.10 | 49.40 | 3.45 | 34.60 | 14.59 | 29.80 | 12.00 | 13.34 | 10.79 | 27.30 | 22.61 | 29.30 | 23.42 | 29.30 | 22.38 |
| 11 | गुजरात | 397.68 | 190.51 | 348.04 | 183.29 | 313.98 | 51.42 | 36.15 | 35.94 | 20.10 | 66.62 | 20.20 | 9.19 | 78.05 | 29.84 | 179.35 | 57.10 | 159.35 | 178.22 |
| 12 | हरियाणा | 339.70 | 68.26 | 175.38 | 100.50 | 14.91 | 9.22 | 48.08 | 3.67 | 61.82 | 29.31 | 70.29 | 33.02 | 91.11 | 72.46 | 131.62 | 84.52 | 101.82 | 73.04 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 509.40 | 47.22 | 44.40 | 35.31 | 115.20 | 40.38 | 40.00 | 25.12 | 27.09 | 22.96 | 1.50 | 24.01 | 15.94 | 35.91 | 83.00 | 13.31 | 78.00 | 25.75 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 368.36 | 90.92 | 538.73 | 72.39 | 362.95 | 41.15 | 105.20 | 7.13 | 164.95 | 21.18 | 144.50 | 1.00 | 166.50 | 80.75 | 136.50 | 18.74 | 101.50 | 8.39 |
| 15 | झारखंड | 1,187.50 | 0.00 | 677.95 | 51.94 | 117.20 | 10.88 | 328.70 | 15.22 | 181.11 | 40.39 | 13.23 | 33.98 | 268.83 | 168.14 | 481.58 | 180.76 | 301.98 | 217.57 |
| 16 | कर्नाटक | 831.68 | 92.23 | 1,271.84 | 237.52 | 39.00 | 67.17 | 36.30 | 141.45 | 340.08 | 356.72 | 1,310.80 | 331.73 | 129.60 | 79.15 | 793.72 | 193.77 | 159.00 | 165.84 |
| 17 | केरल | 180.97 | 76.16 | 223.54 | 128.57 | 84.00 | 436.99 | 196.00 | 93.87 | 421.00 | 35.62 | 128.50 | 139.19 | 363.50 | 188.09 | 487.80 | 72.95 | 343.30 | 88.01 |
| 18 | लद्दाख | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 53.70 | 74.74 | 24.90 | 52.06 | 17.90 | 52.73 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | लक्षद्वीप | 0.00 | 25.42 | 14.27 | 2.38 | 4.40 | 24.49 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 9.51 | 12.35 | 2.00 | 11.40 | 0.43 | 8.80 | 2.49 | 8.88 | 0.40 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 386.26 | 104.50 | 140.93 | 81.01 | 40.50 | 19.98 | 595.58 | 20.64 | 67.44 | 30.13 | 139.00 | 118.05 | 1,518.63 | 172.71 | 210.50 | 432.75 | 135.50 | 399.52 |
| 21 | महाराष्ट्र | 486.85 | 185.90 | 286.43 | 79.10 | 72.79 | 22.53 | 104.50 | 81.87 | 213.00 | 11.11 | 151.60 | 30.98 | 131.49 | 75.29 | 307.30 | 71.93 | 331.30 | 219.20 |
| 22 | मणिपुर | 146.00 | 60.00 | 48.20 | 0.00 | 325.60 | 0.00 | 16.60 | 132.10 | 299.10 | 0.00 | 114.30 | 31.43 | 135.97 | 0.00 | 67.50 | 47.55 | 67.50 | 2.97 |
| 23 | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.70 | 0.00 | 124.15 | 0.00 | 14.50 | 6.14 | 86.97 | 79.28 | 200.98 | 79.61 | 198.21 | 113.48 | 89.75 | 28.17 |
| 24 | मिजोरम | 357.20 | 7.03 | 67.80 | 64.27 | 103.35 | 20.15 | 21.70 | 27.07 | 21.85 | 4.62 | 19.86 | 14.89 | 27.24 | 11.46 | 28.15 | 5.65 | 34.45 | 14.71 |
| 25 | नगालैंड | 0.00 | 0.00 | 214.96 | 0.00 | 482.90 | 0.95 | 11.06 | 3.03 | 2.26 | 1.34 | 7.99 | 0.49 | 20.40 | 24.25 | 5.03 | 0.20 | 4.13 | 0.35 |
| 26 | ओडिशा | 326.63 | 80.84 | 414.09 | 69.71 | 694.10 | 96.32 | 321.60 | 453.19 | 231.16 | 379.52 | 173.10 | 204.31 | 137.55 | 224.01 | 678.30 | 420.60 | 169.10 | 263.35 |
| 27 | पुदुचेरी | 67.90 | 0.00 | 63.35 | 18.17 | 45.25 | 42.32 | 36.50 | 0.00 | 30.85 | 9.90 | 31.30 | 0.47 | 32.40 | 10.35 | 40.07 | 30.78 | 43.89 | 13.61 |
| 28 | पंजाब | 364.00 | 81.61 | 217.45 | 68.57 | 673.00 | 0.00 | 98.90 | 4.40 | 11.00 | 110.01 | 17.60 | 24.61 | 40.40 | 58.67 | 199.50 | 4.85 | 211.50 | 211.50 |
| 29 | राजस्थान | 866.80 | 825.53 | 923.54 | 637.50 | 0.00 | 57.01 | 25.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 310.10 | 161.23 | 31.40 | 16.81 | 31.40 | 20.31 |
| 30 | सिक्किम | 110.46 | 51.05 | 77.51 | 31.19 | 6.92 | 0.00 | 6.29 | 1.31 | 4.72 | 0.00 | 17.80 | 0.21 | 19.15 | 9.73 | 13.90 | 13.83 | 13.93 | 12.22 |
| 31 | तमिलनाडु | 350.56 | 0.00 | 236.00 | 126.00 | 554.70 | 159.00 | 593.90 | 835.70 | 246.50 | 282.50 | 54.25 | 58.76 | 212.86 | 166.55 | 202.01 | 122.90 | 325.50 | 108.50 |
| 32 | तेलंगाना | 365.00 | 0.00 | 120.50 | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 73.31 | 142.00 | 0.00 | 75.00 | 22.40 | 19.25 | 0.00 | 7.00 | 4.95 |
| 33 | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 11.22 | 7.54 | 0.00 | 1.97 | 93.17 | 6.39 | 55.55 | 27.04 | 65.60 | 34.97 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 1,911.30 | 627.84 | 2,090.57 | 914.79 | 405.00 | 666.77 | 2,240.00 | 1,538.08 | 1,166.80 | 572.37 | 731.25 | 194.31 | 1,154.73 | 64.16 | 1,047.50 | 117.55 | 1,977.98 | 177.84 |
| 35 | उत्तराखंड | 0.00 | 0.00 | 240.90 | 0.00 | 88.30 | 215.07 | 21.50 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 44.94 | 23.54 | 65.01 | 50.67 | 62.43 | 23.16 | 52.32 | 42.91 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 605.84 | 24.37 | 446.69 | 51.34 | 287.40 | 46.32 | 92.00 | 153.79 | 59.00 | 36.61 | 103.43 | 105.17 | 60.70 | 121.13 | 274.36 | 147.57 | 229.05 | 145.67 |

टिप्पणी:

1. उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) पर आधारित हैं तथा अनंतिम हैं।

2. व्यय में केंद्रीय रिलीज, राज्य रिलीज और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के लिए व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।

3. एनसीडी पूल को वित्त वर्ष 2015-16 से क्रियान्वित किया गया।

4. जम्मू और कश्मीर राज्य (जेएंडके) के संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में पुनर्गठन के बाद, 2020-21 के दौरान पहली बार संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को एनएचएम फंड वितरित किए गए।

*****